मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रं. 2178 / 2769 / 2011 / 26–2 दिनांक 20–12–2011

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश**
2. **समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश**
3. **समस्त आयुक्त**
   नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. **समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक**
   सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. **समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी**
   नगर पालिका / नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषयः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS), प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय के संबंध में।

संदर्भः– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308–05–01–2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.2, 7.3 एवं 7.4

1.1 गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के ऐसे सदस्यों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन योजना में शामिल किया जाये जो इसकी निर्धारित पात्रता रखता हो।

1.2 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन के समसंख्यक क्रमांक / जे–11015 / 1 / 2011 / एनएसएपी दिनांक 30 जून 2011 के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत आयु सीमा को 65 से घटाई जाकर 60 वर्ष की गई है तथा 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय सहायता राशि को रु. 200 से बढ़ाकर रु. 500 किया गया है।

1.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

1.4 (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOPS)
पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

1.4 (ii) पेंशन की राशि

- 60 वर्ष से 64 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 200 की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाये।
- 65 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 275 की दरे से पेंशन प्रदाय की जाये, जिसमें रु. 200 केन्द्रांश तथा रु. 75 राज्यांश सम्मिलित होगा।
- 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु. 500 (केन्द्रांश) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाये।

1.5 (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 59 वर्ष होगी।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

1.5 (ii) पेंशन की राशि

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह रु. 200 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जावे।

1.6 (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS)
पात्रता के मापदण्ड–

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष होगी।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिए।

1.6 (ii) पेंशन की राशि

निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह रु. 200 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जावे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 60 से 64 वर्ष आयु के वृद्ध, विधवा, निःशक्त, बी.पी.एल. परिवार के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में समाहित किया जाकर रु. 200 प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन राशि देय होगी।

1.7 आवश्यक दस्तावेज–

1. आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक
   - स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
   - जन्म प्रमाणपत्र
   - मतदाता सूची
   - स्वंय का मतदाता परिचयपत्र
   - चिकित्सक प्रमाणपत्र
   - उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र

2. आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ

निःशक्तता पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाणपत्र

विधवा पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज

- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र

1.8 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार

- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व नगरीय क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी जनपद के साधारण सभा की बैठक तथा नगरीय क्षेत्र में निगम/परिषद की बैठक होने पर स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की सूची अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

1.9 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र –

- आवेदक द्वारा इस सेवा के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- आवेदन पर ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।
- आवेदक द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार यदि आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाते हैं तो उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृति हेतु संबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद

पंचायत) को भेजा जावेगा। इस स्थिति में समय–सीमा पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक से प्रारंभ होगी।

नगरीय क्षेत्र

- आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।
- पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन–पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी और राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।
- पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

2.0 आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

2.1 अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–6 में निर्धारित पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट–3)

2.2 आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

2.3 इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए कलेक्टर होंगे। इस सेवा के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए कलेक्टर तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए संभागायुक्त होंगे।

2.4 प्रथम अपील के निराकरण की समय–सीमा 30 कार्य दिवस होगी।

उप सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग

प्रतिलिपि :–

पृ.क्रं. 2178 / 2769 / 2011 / 26–2 दिनांक 20–12–2011

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

उप सचिव

परिशिष्ट–1
<u>निःशुल्क</u>

मध्यप्रदेश शासन
<u>सामाजिक न्याय विभाग</u>
<u>इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना</u>
<u>हेतु आवेदन पत्र</u>

<u>आवेदक</u> **<u>का</u>** **<u>फोटोग्राफ</u>**

1. आवेदक का नाम .... पिता/पति.......................

   जाति ....

2. आवेदक की जन्म तिथि/आयु...
   आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज
   (स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र)
   (आवेदक का पासपोर्ट साईज के तीन फोटो)

3. गरीबी रेखा की सर्वे सूची का क्रमांक ....

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु निम्नलिखित आयु होना अनिवार्य हैः–
   4.1 60 से 64 वर्ष
   4.2 65 से 79 वर्ष
   4.3 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही

5. विधवा होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण संलग्न करें ....
   (आवेदिका की आयु 40 से 59 वर्ष होगीं)

6. निःशक्त होने की दशा में चिकित्सक द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण प्रतिशत सहित संलग्न करें ....
   (आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष होगीं)

7. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता...
   ....
8. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता ....
   ....
9. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो) ....

10. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
	योग				

11. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है ? ....
....

12. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण–पोषण हेतु कोई राशि, अनाज/अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? हां तो कितनी और किस रुप में ....

13. वर्तमान में जीविका का क्या साधन है ....

टीपः– आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

:: घोषणा पत्र ::

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति............................... निवासी .... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो उपरोक्त राशि मुझसे वसूल की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	–	—————————————— —————————————— ——————————————
1. आवेदक का नाम एवं पता	–	—————————————— —————————————— ——————————————
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	–	——————————————
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	–	——————————————
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	–	—————————————— —————————————— ——————————————
4. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	–	——————————————

स्थान................
दिनांक..........................

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

परिशिष्ट–3

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)